International Journal of Research in Social Science
Vol. 12 Issue 06, June 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पूर्वी उत्तर–प्रदेश परिक्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन में बाबा राघवदास का योगदान

डॉ. रितेश्वर नाथ तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
tiwarititeshwar@gmail.com

शोध सारांश
बाबा राघवदास उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे आंदोलन में इतने समर्पित थे कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाँधी कहा जाने लगा था। बाबा राघवदास हमारे देश के उन देश भक्तों में थे जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेकर उन्होंने विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कराने में अपूर्व योगदान दिया और भारत मां के बंधनों को शिथिल करने के लिए जो भी आंदोलन कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किए, उन सब में आगे आकर भारत माता के फटे आंचल के सीने में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्थानीय घटना से जुड़े क्रांतिकारियों के पक्ष में बाबा राघवदास के योगदान का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द : राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, जनक्रांति

शोध विस्तार :
बाल गंगाधर तिलक, परांजपे, स्वामी विवेकानंद तथा अपने गुरु अनंत महाप्रभु से अत्यधिक प्रभावित बाबा राघवदास 1919 ई. के प्रारंभ तक पूर्वी उत्तरप्रदेश के आध्यात्मिक साधना के एक प्रमुख मठ बरहज आश्रम देवरिया के प्रमुख संत के रूप में प्रख्यात हो चुके थे। इसी समय पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने परमहंस बाबा राघवदास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने एक आध्यात्मिक संत के राष्ट्रीय चरित्र को बाहर ला दिया।[1] उसी समय गांधीजी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। गांधीजी ने मंत्र दिया कि – ''अत्याचार करने से अत्याचार सहने वाला अत्यंत दोषी है। अहिंसा और सत्याग्रह निर्भय बनाने का और जन–जन को विशाल साम्राज्य के खिलाफ के सामने खड़ा होने के महान रूप है।'' यह मंत्र बाबा राघवदास के जेहन में उतर गया और उन्होंने केवल गोरखपुर – देवरिया को ही नहीं बल्कि सारे उत्तरप्रदेश को आंदोलित किया ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उससे प्रभावित भारत का सामंतवाद, दोनो का मुकाबला करने के लिए भारत की आम जनता में स्फूर्ति, प्रेरणा और शक्ति पैदा करना, यह तपः पूत का संकल्प था।[2] बाबा राघवदास उस समय सारे उत्तरप्रदेश में एक तूफान बन गए और जो भी उनके सामने आया उन सभी को उन्होंने प्रभावित किया। इसके बाद बाबा राघवदास जी ने गोरखपुर में असहयोग का तूफानी दौरा प्रारंभ कर दिया और स्वराज्य–संग्राम के एक प्रबल सेनानी के रूप में युद्ध करने लगे। उनका यह असहायोगी दौरा गजब का था। गांव–गांव पैदल घूमकर, कोने–कोने में वह गांधीजी का संदेश पहुंचाने लगे। आंधी–पानी, जाड़ा –गर्मी, नदी – नाला, रात

–दिन को पछाड़ते हुए वह एक गांव से दूसरे गांव की तरफ पहुंच जाते। छोटे बड़े सबसे मिलते, दुःखियो का घाव सहलाते, देशभक्तों को अंकमाला देते, सभाएं करते, भारत के वीरों को जोशीली कहानियां सुनाते, नेताओं का चमत्कारिक परिचय देते और स्वराज्य के संघर्ष के लिए लोगों में उत्साह फूंकते। जेठ–वैशाख की तपती भूभर में उन्हें नंगे पांव दौड़ते देख गांव के स्त्री–पुरुष हाय–हाय करने लगते। उस समय उनका शरीर ऐसा था की सींक से खोद दो तो खून की धारा बह निकले। अपनी अंदुरूनी मस्ती में वह इतनी तेजी से चलते कि उनके साथ चलने वालों को दौड़ना पड़ता। उनके त्यागी साधु स्वरूप से किसान बहुत प्रभावित हुए।[3] पुरुषोत्तम टंडन ने इस संदर्भ में उनका उल्लेख करते हुए लिखा, ''वह उस आंदोलन की प्रगति में मेरे सामने आए, जिसे महात्मा गांधी ने सन 1920–1921 में प्रेरणा दी थी। हमारे सूबे के सबसे बड़े जिले गोरखपुर की जनता को जगाने में उनका मुख्य हाथ था। गांव–गांव पैदल घूमने में वह अभ्यस्त थे। जनता उनके ऊपर मुग्ध थी। उनकी तपस्या का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। उस प्रभाव के कारण बाबा राघवदास उनको देश सेवा के कार्यों और कांग्रेस के राजनैतिक आदर्शो की ओर खींचने में सुंदर रूप से सफल हुए।''[4]

पूर्वी उत्तरप्रदेश की जनता पर बाबा राघवदास के व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए जे. बी. कृपलानी ने लिखा, ''बाबा राघवदास जी उत्तरप्रदेश के तपस्वी लोकसेवक और लगन के कार्यकर्ता थे। उन्होंने जनता के बीच जाकर और जनता के जैसा ही जीवन बिता कर सेवा की थी। अपने आचरण और व्यवहार से उन्होंने अपने को सच्चा जनसेवक सिद्ध किया था। पूर्वी उत्तरप्रदेश के गांव–गांव में उनको जो लोकप्रियता मिली और उनकी एक आवाज पर जब–तब जनता एकत्रित हो जाती, उनका रहस्य यही है। उन्होंने ऐसे काम जनता की शक्ति के द्वारा ही सिद्ध किए थे।''[5] सनातन संस्कृति के अद्‌भुत संवाहक बाबा राघवदास ने सार्वजनिक जीवन में जिस क्रियाशीलता, त्याग–तपस्या, परोपकार एवं क्रांतिकारिता का परिचय दिया उसके कारण वह अति शीघ्र पूर्वांचल में राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गए। पूर्वी उत्तरप्रदेश के 'स्व' को जागृत कर इस परिक्षेत्र को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। अनेकों राष्ट्रीय नेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह स्वीकार किया है कि, ''राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोगों के जेल जाने और उनके बलिदान के पीछे बाबा राघवदास की प्रेरक शक्ति काम कर रही थी।''[6] सन् 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबा राघवदास की सक्रियता काफी तेजी से बढ़ी। 1 अगस्त 1920 ई. को बाल गंगाधर तिलक की असामयिक मृत्यु ने बाबा जी के साथ पूरे देश को गहरे सदमें में डाल दिया। परंतु अपने को राजनैतिक गुरु की मृत्यु के सदमे से बाहर निकलते हुए बाबा राघवदास सहित तिलक के समस्त अनुयायियों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। जनपद के विभिन्न हिस्सों में पदयात्रा कर सभाओं को संबोधित कर उत्तेजक राष्ट्रवादी भाषणों के माध्यम से जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने की सफल कोशिश की साथ ही दिसंबर 1920ई. में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की।[7]

फरवरी 1921ई. में असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए गांधी जी ने पूर्वी उत्तरप्रदेश के जिलों का दौरा किया। उनके साथ मौलाना मुहम्मद अली भी थे। 8 फरवरी 1921ई. को गांधी जी का आगमन गोरखपुर हुआ और बाले मियां के मैदान में 1 लाख लोगों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्कूल, अदालत और अन्य

सरकारी सेवाओं के बहिष्कार की अपील की।[8] इस अवसर पर बाबा राघवदास ने बरहज के अपने परमहंस आश्रम के ब्रह्मचारियों के साथ गोरखपुर में गांधी जी का अभिवादन किया और उनके सम्मुख देश–सेवा के कार्य में समर्पित होने का व्रत लिया।[9] तत्पश्चात उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया।[10] 10 फरवरी 1921 ई. को बाबा राघवदास ने परसिया (देवरिया) में सेवा समिति और पंचायत की स्थापना की। अपने भाषण में उन्होंने मादक वस्तुओं के निषेध और चरखे के प्रचार पर बल दिया। इस अवसर पर आयोजित महिला सभा में लगभग 200 स्त्रियां उपस्थित थी।[11] मार्च 1921 ई. में दफा 144ए के अंतर्गत बाबा राघवदास को जेल की सजा दी गई और उन्हें बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडेय तथा केदारनाथ आर्य के साथ लखनऊ की सेंट्रल जेल में रखा गया। जेल में अत्यधिक काम लिए जाने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया।[12] परंतु, वे जल्द जेल से बाहर आ गए। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने असहयोग आंदोलन को राजद्रोह की संज्ञा दी थी इसके बावजूद 6 अप्रैल 1921 ई. को सम्पूर्ण प्रांत में सत्याग्रह–दिवस सफलता पूर्वक मनाया गया। पूर्वी उत्तरप्रदेश के प्रायः सभी जनपदों में हड़ताल की गई तथा जन–सभाओं का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 1921 ई. को जलियांवाला बाग की दुःखद नरसंहार की स्मृति में गोरखपुर में निकले विशाल जुलूस में हजारों व्यक्ति नंगे सिर और नंगे पैर सम्मिलित हुए जिनका नेतृत्व बाबा राघवदास ने किया।[13]

जुलाई 1921 ई. के प्रथम सप्ताह में बाबा राघवदास ने दफा 108ए के अंतर्गत नोटिस दी गई और साल भर तक अच्छे चाल–चलन के लिए सरकार ने उनसे 500 रुपए का मुचलका तथा 500–500 रुपए की दो जमानतें मांगी। मुचलका और जमानतें न देने के कारण 19 जुलाई 1921 को उन्हें 1 साल के सपरिश्रम कारावास का दंड दिया गया। मुकदमें में फैसले के समय देवरिया के मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सम्मुख लगभग 10,000 (दस हजार) जनता, अपने प्रिय नेता को विदाई देने के लिए उपस्थित थी। पुलिस के सुदृढ़ घेरे में उन्हें देवरिया से गोरखपुर की जेल तक लाया। बाबा की गिरफ्तारी से बरहज और देवरिया में सनसनी व्याप्त थी।[14] जेलयात्रा के समय बाबा राघवदास ने जनता के नाम अपना संदेश दिया, ''हमें केवल अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए, उससे ही हमारा कल्याण होगा। ईश्वर वह घड़ी लाए जब केवल स्वराज्यवादियो के हाथों से मेरी हथकड़ियां खोली और बेड़ियां काटी जाएं।''[15] बाद में उन्हें गोरखपुर से बनारस जेल स्थानांतरित कर दिया गया।[16] गिरफ्तारी के समय बाबा राघव दास गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उप–सभापति थे और जिले से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए थे। संयुक्त प्रांत के गुप्तचर विभाग अभिलेख बाबा राघव दास को एक 'खतरनाक वक्ता' बताया गया है।[17] अपने जेल जीवन के दौरान ही बाबा राघवदास गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे।[18] इस समय इस परिक्षेत्र में असहयोग आंदोलन की लहर अपने तीव्रतम स्वरूप में आ चुकी थी। स्वराज की आकांक्षा जन–जन की आकांक्षा बन चुकी थी। जनता पूरी निर्भयता के साथ सत्याग्रह एवं अहिंसा के पथ पर चलते हुए स्वराज्य के लिए आंदोलनरत थी। इससे उत्साहित महात्मा गांधी ने आंदोलन को और ऊपर ले जाने के लिए बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। परंतु औपनिवेशिक शासन किसी भी प्रकार से असहयोग आंदोलन और राष्ट्रवाद को हमेशा–हमेशा के लिए दफना देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 'बांटो और राज करो' की नीति के साथ ही दमन और अत्याचार की नीतियों का सहारा लिया।

ब्रिटिश हुकूमत अपने नीतियों के तहत ही 4 फरवरी 1922 ई. को गोरखपुर जनपद के चौरी–चौरा में निहत्थे युवा किसानो एवं अन्य सत्याग्रहीयो के ऊपर अत्याचारी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर असहयोग आंदोलन को समाप्त कराने और राष्ट्रवादी सत्याग्रही कार्यकर्ताओं को हमेशा के लिए शांत कराने की असफल कोशिश की। इसके प्रतिशोध स्वरूप आगजनी घटना में 23 पुलिसकर्मी मारे गए। चौरी–चौरा जनक्रांति के सत्याग्रहियों में जहां एक तरफ जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम देने वाले अत्याचारी औपनिवेशिक शासकों की याद ताजा थी, वही महात्मा गांधी के स्वराज्य के सपने के साथ ही पूर्वांचल के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बाबा राघवदास के जेल यात्रा के समय का संदेश भी। अतः सत्याग्रह ने पुलिस दमन से आंदोलन को बचाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को न झुकने देने के लिए स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही पल में आत्म रक्षार्थ एवं राष्ट्र क्रांतिकारी चरित्र धारण कर लिया। उन्होंने देखा और महसूस किया था कि गांधीवादी तरीके से जलियांवाला बाग नरसंहार को रोका नहीं जा सकता था। अतः सत्याग्रही से क्रांतिकारी बने राष्ट्रवादियों ने तीव्रतम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुलिस वालों एवं थाने सहित ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक चिन्हों को चौरी–चौरा से मिटा कर कुछ ही पलों के लिए सही, स्वराज्य की घोषणा कर दी।[19]

चौरी–चौरा जनक्रांति की सूचना पाते ही गांधी जी ने 6 फरवरी 1922 ई. को असहयोग आंदोलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय ले लिया और यहां तक की इस क्रांति को गांधी जी ने 'गोरखपुर की अपराध की संज्ञा' भी दे दी। [20] गांधी जी के समर्थकों एवं वैश्विक बड़े ने इस घटना की घोर निन्दा की।[21] ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस एवं सेना ने इस जनक्रांति के पश्चात चौरी–चौरा एवं आस–पास के इलाकों में अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। महिलाओं के साथ विभत्स घटनाएं हुई, गांव के गांव लूट लिए गए और फसलों को खेतों में जला दिया गया।[22] तथा जनता के अंदर भय पैदा करने के लिए सैनिक को फ्लैग मार्च करवाया गया।[23] इस जनक्रान्ति के बाद बाबा राघवदास को जेल से छूटने पर गोरखपुर की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया।[24] छुटने के बाद वे चौरी–चौरा का भ्रमण किए और चौरी–चौरा के आस–पास के पुलिस अत्याचारों से व्यथित होते हुए आक्रोश में कहा कि ''यह कांड दुःखद अवश्य है, किंतु यह स्वतंत्रता की भावना से अभिभूत जनता की सरकार की क्रूर दमन नीति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर सरकार द्वारा निर्दोष जनता पर किया जा रहा अत्याचार सर्वथा अनुचित है।''[25] तत्पश्चात वे इस घटना के क्रांतिकारी अभियुक्तों के दुःखी परिवारों से मिले और उनकी यथाशक्ति न सिर्फ सहायता की बल्कि जब 9 फरवरी 1923 ई. को सेशन कोर्ट के जज ए. ई. होम्स ने क्रांतिकारी अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए 172 लोगों को फांसी की सजा दी तो बाबा राघवदास पहले महामानव थे जो इनके बचाव में आगे आए। इस क्रांति ने न सिर्फ संयुक्त प्रांत में वरन पूरे भारत में एक नए चरण के राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील के लिए सिर्फ 7 दिन का समय था। इसी अल्पावधि में बाबा राघव दास इलाहाबाद गए तथा मोतीलाल नेहरू इत्यादि से वार्ता के पश्चात अंततः उन्होंने मदन मोहन मालवीय जो बहुत पहले वकालत छोड़ चुके थे, को क्रांतिकारी अभियुक्तों की पैरवी के लिए तैयार कर लिया।[26] जिसका परिणाम यह हुआ कि 172 मृत्युदंड पाए क्रांतिकारियों में से 38 निर्दोष करार दिए गए। सिर्फ 19 को मृत्युदंड मिला तथा बाकी को अलग–अलग सजा मिली।[27] चौरी–चौरा जनक्रान्ति की प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा जनता पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में बाबा राघव

दास द्वारा किए जा रहे एक भाषण को राजद्रोहात्मक मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 15 मार्च 1923 ई. को एक वर्ष के सपरिश्रम कारावास का दंड दिया।[28] उनके हिस्ट्री टिकट पर लिखा गया ''चौरी–चौरा के बाबा राघव दास।''[29]

बाबा राघव दास को जेल से मुक्त होने के बाद संयुक्त प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन का 18वां अधिवेशन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 1924 ई. तक गोरखपुर में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में उपस्थित हुए कांग्रेस के नेताओं में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, शिवप्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अब्दुल करीम, संपूर्णानंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत, स्वामी सहजानंद सरस्वती, मुकुंदी लाल, डॉक्टर मुरारी लाल, श्रीप्रकाश, मोहनलाल सक्सेना, यज्ञ नारायण उपाध्याय, डॉक्टर सैयद महमूद और मौलाना आजाद सुभानी के नाम के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है।[30] 31 अक्टूबर को इस सम्मेलन के स्वागत–अध्यक्ष बाबा राघव दास ने अपने स्वागत भाषण में चौरी–चौरा जनक्रांति पर क्षोभ प्रकट किया तथा बंगाल में चल रहे दमन की चर्चा की। उन्होंने खद्दर की प्रचार और व्यवहार हिंदू–मुस्लिम एकता अछूतोद्धार तथा राष्ट्रभाषा प्रचार पर विशेष बल दिया।[31] इस सम्मेलन की सफलता में बाबा राघव दास के योगदान का उल्लेख करते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा, ''उस समय पूर्वी जिलों में उनका प्रभाव मुझे दिखाई पड़ा था। जनता उस सम्मेलन में उनके कारण उमड़ पड़ी थी ,और वे जनता के बीच पूजते थे। ग्रामीण जनों की असीम श्रद्धा उन पर थी।[32]

1924 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस कांग्रेस में उनके द्वारा की गई विशिष्ट सेवा से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, ''बाबा राघव दास जैसे थोड़े से संत हमें मिल जाए तो भारत का स्वराज बाएं हाथ का खेल हो जाए।''[33] बाबा राघवदास द्वारा 1924 से लेकर 1927 ई. तक गांधीजी के निर्देश पर रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे और 1928 ई. को साइमन कमीशन के मंबई, पहुंचने पर गोरखपुर, बस्ती, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में साइमन कमीशन के बहिष्कार में सफल हड़तालों का आयोजन किया।[34] बाबा राघवदास ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उनके प्रभाव के कारण ही तमकुही के राजा ने साइमन कमीशन से मिलना अस्वीकार कर दिया। 22 मई 1929 ई. को बाबा राघवदास ने रसड़ा (बलिया) में एक कांग्रेस सभा की अध्यक्षता की।[35] 26 मई को कसया और सलेमपुर की सभाओं में उनके द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की गई।[36] 10 मार्च 1929 ई. को बरहज की कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय झंडे के अभिवादन समारोह में उन्होंने भाषण किया। इस सभा में नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित स्वराज्य का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।[37]

दिसंबर 1929 ई. में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन में गांधी जी द्वारा ''पूर्ण स्वराज'' का क्रांतिकारी प्रस्ताव पारित हुआ। 21 दिसंबर 1929 ई. की मध्यरात्रि को 'पूर्ण स्वराज्य' की प्राप्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ई. को अंग्रेजों के अत्याचारी शासन का प्रतीक 'नमक कानून' को तोड़ने के लिए अपने साबरमती आश्रम से अन्य 79 पदचारियो के साथ दांडी के लिए पैदल प्रस्थान किया। इसी तर्ज पर 2 अप्रैल 1930 ई. को बाबा राघव दास द्वारा देवरिया की एक सभा में जनता से नमक सत्याग्रह में सहयोग करने की, कि गई अपील से प्रभावित होकर कई व्यक्तियों ने बाबा राघव दास के नेतृत्व में 12 अप्रैल 1930 ई. को बरहज से स्वयंसेवकों के एक दल ने प्रातः 6:30 पर नमक सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया।[38] उनका लक्ष्य पड़रौना पहुंचकर

नमक कानून को तोड़ना था। 12 अप्रैल को देवरिया की एक सभा में उन्होंने भाषण दिया और सत्याग्रह के लिए जनता का आह्वान किया।[39] 13 अप्रैल से बंगरा बाजार में बाबा राघवदास के नेतृत्व मे नमक बनाना प्रारंभ हुआ। 18 और 20 अप्रैल को क्रमशः रामकोला और विशुनपुरा की सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नमक–कानून तोड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया।[40] नमक–कानून भंग करने के अभियोग में बाबा राघवदास को 30 अप्रैल 1930 ई. को 6 महीने की कड़ी कैद की सजा दी गई।[41]

अक्टूबर 1930 ई. में बाबा राघवदास जेल से बाहर आने के बाद 10 अक्टूबर को खुखुन्दू, गड़ेर, देवरिया और बरहज की सभाओं में भाषण करते हुए उन्होंने नशाबंदी, चरखा–प्रचार, स्वराज्य आदि पर बल दिया और किसानों से लगान न देने की अपील की। उन्होंने 22, 24, 26 और 27 अक्टूबर को क्रमशः बरहज, रुद्रपुर, पिपराइच और पाली में जन–सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जनसंख्या–गणना के बहिष्कार के साथ ही सत्याग्रह में सहयोग और कांग्रेस में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील जनता से की।[42] 5 अप्रैल 1931 ई. को गांधी–इरविन समझौता के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और इसी समझौते के अनुसार गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु यह सम्मेलन निष्फल के बाद गांधीजी खाली हाथ लौटे और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जनता से अपील की। 4 जनवरी को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा राघव दास के नेतृत्व में जगी हुई पूर्वी उत्तरप्रदेश की जनता ने उत्साहित होकर इस आंदोलन में भाग लिया। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यालय जब्त कर वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पड़रौना के कांग्रेस कार्यालय पर अधिकार कर पुलिस ने उसे जला डाला।[43] गोरखपुर जिला कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बाबा राघवदास को 2 वर्ष 6 माह के सपरिश्राम कारावास की सजा दी गई।[44]

बाबा राघवदास 1933 ई. के अंतिम महीनों में जेल से छोड़े गए। 1936 ई. बाबा राघवदास ने प्रांतीय विधान सभा की सदस्यता के लिए सिंहासन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और धुआंधार चुनाव प्रचार करके विपक्षी उम्मीदवार और राष्ट्रीय खेतिहर पार्टी के प्रत्याशी तमकुही के राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही को लगभग 15 हजार मतों से पराजित किया।[45] 1939 ई .द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी बाबा राघवदास आम जनता अंग्रेजों की सहायता न करने की और सेना में भर्ती न होने की अपील की। 11 अक्टूबर 1940 ई. को कांग्रेस की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधीजी के नेतृत्व में युद्ध के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। गांधीजी चुने गए प्रथम सत्याग्रही विनोवा भावे ने 21 अक्टूबर 1940 ई. को युद्ध विरोधी भाषण करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। नवंबर 1940 ई. के अंतिम दिनों में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने गोरखपुर से बाबा राघवदास, प्रयागध्वज सिंह, रामधारी पाण्डेय, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, सिंहासन सिंह और सुलेमान अंसारी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुमति दी। बाबा राघवदास प्रथम सत्याग्रहियों में से एक थे। 24 नवंबर को उन्होंने जिले के अधिकारियों को सूचित किया कि वे 25 नवंबर को सायंकाल चौरी–चौरा स्टेशन से उत्तर की ओर युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए सत्याग्रह करेंगे।[46] परंतु सत्याग्रह प्रारंभ करने से एक दिन पहले ही 24 नवंबर को रात 10:00 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 25 नवंबर को बरहज, देवरिया और रामपुर कारखाना में अभूतपूर्व

हड़ताल हुई। तथा बाबा राघवदास को इस समय दो वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी।[47] 1942 ई. में जेल से बाहर आने के बाद स्थिति और भयावह हो चुकी थी।

8 अगस्त 1942 ई. को मुंबई में आहूत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने कार्यसमिति द्वारा पारित 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर गांधीजी ने आम जनता को एक मंत्र दिया ' करो या मरो ' ।गांधीजी ने जनता को आदेश दिया कि, ''आप में प्रत्येक इस क्षण स्वयं को एक स्वतंत्र पुरुष या महिला समझे और आप एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करे।'' बाबा राघवदास ने 7 –8 अगस्त 1942 ई. को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के बैठक में भाग लिया।[48] 9 अगस्त को बंबई में गांधीजी एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वे फरार होकर भूमिगत हो गए। बाबा भूमिगत होकर आंदोलन के संचालन में लग गए, उधर गुप्तचर विभाग की शाखा बाबा राघवदास पर 500 रुपए का इनाम पता बताने वाले की पुरस्कार की घोषणा की।

इस आंदोलन में पुलिस की दृष्टि से बचते हुए उन्होंने भारत वर्ष के विभिन्न भागों में आंदोलन को संगठित करने तथा सरकारी दमन और अत्याचार के शिकार लोगों को यथासंभव सहायता किया। इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली, मद्रास और बंबई की यात्राएं की तथा आंदोलन के संगठन और संचालन के संबंध में जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली जैसे महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क कर, उनसे निर्देश लिया।[49] मद्रास में उन्होंने कुछ समय तक जी. रामचंद्रन के साथ छिप कर आंदोलन के लिए कार्य किया। कलकत्ता में गुप्त रूप से आयोजित किए गए भूमिगत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के संबंध में वे जी. रामचंद्रन के नाम सुचेता कृपलानी का एक पत्र भी ले गए थे। लगभग दो महीने तक वर्धा में ही रहे। 'भारत छोड़ों' आंदोलन में बाबा राघवदास उत्तरप्रदेश के संचालक थे।[50] बनारस में वह प्रायः हरिश्चंद्र घाट के पास एक ऊंचे मकान में अथवा सज्जन देवी महनोत (चौका घाट वाराणसी) के यहां निवास करते थे। अपने पूरी फरारी जीवन में उन्होंने कभी वेश नही बदला और निडर होकर भारत वर्ष के विभिन्न स्थानों में घूमते रहे।[51] प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचींद्र नाथ सान्याल ने बनारस में शिवप्रसाद गुप्त के निवास स्थान सेवा उपवन में उनसे भेंट की और दोनों व्यक्तियों के बीच आंदोलन के संबंध में गुप्त वार्ता हुई। बाबा राघवदास के निर्देशन में आंदोलनकारियों ने मुगलसराय–मिर्जापुर रेलवे लाइन कुछ समय के लिए ठप्प कर दी। उन्होंने वाराणसी के अतिरिक्त गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और मिर्जापुर का दौरा कर आंदोलन को संगठित करने के साथ ही तोड़–फोड़ के कार्यों का भी नेतृत्व किया। उनकी ही प्रेरणा के फलस्वरूप कसया के निकट एक पुल आंदोलनकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 6 मई 1944 ई. को गांधीजी को चिकित्सकीय आधार पर जेल से मुक्त कर दिया गया और 7 अगस्त 1944 ई. को बाबा राघवदास को लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।[52] 9 अप्रैल 1946 ई. को बाबा राघवदास जेल से बाहर आए और बरहज पहुंचने पर एक लाख से अधिक जनता ने अपने प्रिय नेता का स्वागत किया। 1946 ई. में बाबा राघवदास गांधीजी के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों में घूमने के लिए नोवाखाली भी गए।[53] 18 फरवरी 1946 ई. को हुए नौसैनिक विद्रोह के ठीक दूसरे दिन 19 फरवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र प्रदान करने के संदर्भ में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन की संस्तुति के अनुसार 15 अगस्त 1947 ई. को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत– वभाजन के दुःखद निर्णय के साथ भारत वर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

इस प्रकार हम कह सकते है कि बाबा राघवदास स्वयं एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता थे। ब्रिटिश हुकूमत उन्हें एक खतरनाक आंदोलनकारी मानती थी। पूर्वी उत्तरप्रदेश की जनता को उनके नेतृत्व में एक नई स्फूर्ति मिली। पूर्वांचल के जनजीवन में एकरस हो गए बाबा राघवदास के सेवाभाव का मुग्ध जनता उनके आह्वान पर सहयोग के लिए सदैव तैयार मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्वी उत्तरप्रदेश की गौरवपूर्ण भूमिका के वे एक मुख्य सूत्रधार थे।

संदर्भ

1. निधि चतुर्वेदी, बाबा राघवदास एवं चौरी–चौरा 'ऐतिहासिक सत्य' उद्धरित चतुर्वेदी, हिमांशु (संपादक), *चौरी चौरा एक पुनरावलोकन राष्ट्रीय आयाम की स्थानीय घटना*, प्रकाशन विभाग, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली, 2021, पृ. 16.
2. अक्षय कुमार कारण, *युवकों के प्राण बाबा राघवदास* उद्धरित अक्षय कुमार करण (संपादक), 'बाबा राघवदास स्मृति – ग्रंथ ' प्रकाशक, उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक निधि सेवापुरी वाराणसी, फरवरी 1963, पृ. 110.
3. गुरुनारायण पाण्डे *'जीवन की झांकी'* उद्धरित अक्षय कुमार करण (संपादक), 'बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ' प्रकाशन उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक निधि सेवापुरी वाराणसी, फरवरी 1963, पृ. 239.
4. हिमांशु चतुर्वेदी, पूर्वोक्त ,पृ. 17.
5. आमोद नाथ त्रिपाठी, *पूर्वांचल के गांधी बाबा राघवदास*, अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद 2010, पृ. 60.
6. आर. ब्रास पाल, *फॉक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बंबई, 1966, पृ. 114, 15.
7. छांगुर त्रिपाठी, बाबा राघवदास की स्मृति, उद्धरित अक्षय कुमार करण (संपादक), *बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ*, उत्तरप्रदेश गांधी स्मारक निधि, सेवापूरी वाराणसी, फरवरी 1963, पृ. 152.
8. भुवनेश्वर सिंह गहलोत, *पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (1920–1947)*, अप्रकाशित शोध प्रबंध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ. 36 –37.
9. विश्वास त्रिपाठी, जब मैं बाबा जी के पीछे चला, उद्धरित अनंत ज्योति, विद्यालय पत्रिका, श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज बरहज 1972 –73, पृ. 21.
10. स्वदेश, गोरखपुर 27 फरवरी 1921, पृ. 9.
11. स्वदेश, गोरखपुर, 27 फरवरी 1921, पृ. 9.
12. स्वदेश, गोरखपुर, 10 अप्रैल 1921, पृ. 7.
13. भुवनेश्वर गहलौत, पूर्वोक्त, पृ. 39.
14. आज, वाराणसी, 22 जुलाई 1921, पृ. 6.
15. आज, वाराणसी, 30 जुलाई 1921, पृ. 6.
16. स्वदेश, गोरखपुर, 7 अगस्त 1921, पृ. 12.
17. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, देवरिया, पृ. – 9.
18. सुभाष चंद्र कुशवाहा, *चौरी चौरा विद्रोह और स्वाधीनता आंदोलन*, पेंगुइन बुक्स, गुड़गांव 2014, पृ. 207, 208.
19. हिमांशु चतुर्वेदी, पूर्वोक्त, पृ. 20.

20. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 32 (दिसंबर 1921– मार्च 1922), प्रकाशन. विभाग, नई दिल्ली, पृ. 386, 87.
21. सुभाष चंद्र कुशवाहा, पूर्वोक्त, पृ. 199.
22. आज, वाराणसी, 10 फरवरी 1922, पृ. 7.
23. चौरी चौरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फाइल नंबर 241, ऑब्स्ट्रेक्ट नंबर 4455, समरी ऑफ द इंटेलिजेंस, उत्तरप्रदेश शासकीय अभिलेखागार, लखनऊ.
24. गुप्तचर विभाग (संयुक्त प्रांत) के अभिलेख (1922 के द्वितियार्द्ध) पैरा 938.
25. गुरु नारायण पाण्डेय, *जीवन को झांकी*, उद्धरित अक्षय कुमार करण (संपादक), बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ, प्रकाशक, उत्तर प्रदेश स्मारक निधि, सेवापुरी वाराणसी, फरवरी 1963, पृ. 241.
26. भुवनेश्वर सिंह गहलोत, पूर्वोक्त, पृ. 47.
27. आमोद नाथ त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ. 64.
28. गुप्तचर विभाग के अभिलेख (1923), पैरा 257.
29. आज, वाराणसी, 18 अप्रैल 1955 (बाबा राघवदासःले.रामविनायक सिंह).
30. आज, वाराणसी, 4 नवंबर 1924, पृ. 5.
31. आज, वाराणसी 6, 7 और 8 नवंबर, क्रमशः पृष्ठ 10, 2 एवं 2.
32. कारण, अक्षय कुमार (संपादक), *बाबा राघव दास स्मृति ग्रंथ*, पृ. 23.
33. करण, अक्षय कुमार (संपादक), *बाबा राघव दास स्मृति ग्रंथ*, पृ. 17.
34. भुवनेश्वर सिंह गहलौत, पूर्वोक्त, पृ. 60.
35. आज, वाराणसी, 30 मई, 1929, पृ. 2.
36. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1929, पैरा 326 सी.
37. आज, वाराणसी, 14 मार्च 1929, पृ. 2.
38. आज, वाराणसी, 19 मार्च 1930, पृ. 7.
39. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1930, पैरा 357 वी.
40. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1930, पैरा 378 टी.
41. आज, वाराणसी, 2 मई 1930, पृ. 4.
42. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1930, पैरा 884 क्यू.
43. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक देवरिया, पृ. 18, 19.
44. गुप्तचर विभाग के अभिलेख 1932, पैरा 37 एक्स.
45. आज, वाराणसी, 20 फरवरी 1937, पृ. 4.
46. आज, वाराणसी, 24–25 नवंबर 1940, पृ. 2, 3.
47. आज, वाराणसी, 4 दिसंबर 1940, पृ. 1 (मुख्य समाचार).
48. गुप्तचर विभाग के अभिलेख, विशेष शाखा, संयुक्त प्रांत लखनऊ, 19 अगस्त 1942.
49. बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ, पृ. 16, 53 एवं 66.
50. राजेश्वर सहाय त्रिपाठी, *फरार जीवन के ग्यारह माह*, अर्चना प्रकाशन, इलाहाबाद, 1995, पृ. 23.
51. आज, वाराणसी, 29 जनवरी 1958, पृ. 4 (42 में बाबा जी को पुलिस नही पकड़ सकी – ले. सच्चिदानंद त्रिपाठी).
52. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक देवरिया, पृ. 28 एवं गुप्तचर विभाग के अभिलेख, 1944, पैरा 119.
53. आज, वाराणसी, 10 दिसंबर 1946, पृ. 4.